तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
[illegible]/24	बार संघ कार्य स्थगित है। पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश / चुनाव / अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है. पत्रावली दिनांक 15/5/24 को पेश हो।
10/5/24	वकील पत्रावली तलबाना दाखिल / पत्रावली वास्ते तकमील हेतु दिनांक 21/5/24 को पेश हो।
21/5/24	वकील फरीकैन उपस्थित / वकील उजरदार [illegible] सुनी गई। पत्रावली [illegible] दिनांक 22/5/24 को पेश हो [illegible] हेतु
22/5/24	वकील फरीकैन हाजिर / [illegible] RTI Act [illegible] किया [illegible] [illegible] [illegible] मिसल किया जाए / पत्रावली [illegible] [illegible] RTI Act मूल वाद के साथ संलग्न हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया।

[illegible]
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 18:31:34 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर
बईजलास : सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 137 / 15 जीसीएमएस : 2015 / 2015

1 कृष्णलाल पुत्र श्री शेराराम जाति बावरी निवासी हरीपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर ।

2 कमलादेवी पुत्री श्री अमरूराम पत्नि सुरजाराम जाति बावरी निवासी हरीपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

— प्रार्थीगण

बनाम

1 सुरजाराम पुत्र शेराराम जाति बावरी निवासी हरीपुरा तह रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

2 मनीराम पुत्र शेराराम जाति बावरी निवासी हरीपुरा तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

3 ख्यालीराम पुत्र शेराराम जाति बावरी निवासी हरीपुरा तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

4 पृथ्वीराज पुत्र अमरूराम जाति बावरी निवासी हरीपुरा तह रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

5 मुखराम पुत्र अमरूराम जाति बावरी निवासी हरीपुरा तह रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

6 मूलादेवी बेवा चिमनाराम जाति बावरी निवासी हरीपुरा तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

7 भूपराम पुत्र चिमनाराम जाति बावरी निवासी हरीपुरा तह रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

8 कालूराम पुत्र चिमनाराम जाति बावरी निवासी हरीपुरा तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

9 भगवानाराम पुत्र चिमनाराम जाति बावरी निवासी हरीपुरा तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

10 हेतराम पुत्र चिमनाराम जाति बावरी निवासी हरीपुरा तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

11 रामलाल पुत्र चिमनाराम जाति बावरी निवासी हरीपुरा तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

12 नम्बरदार राम पुत्र चिमनाराम जाति बावरी निवासी हरीपुरा तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

13 रिछपाल पुत्र चिमनाराम जाति बावरी निवासी हरीपुरा तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

14 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—अप्रार्थीगण

<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

रजू दिनांक 30.09.2015

उपस्थिति:—

श्री राजाराम धारणीयां अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री प्रीतम सिंह गिल अधिवक्ता अप्रार्थीगण

—निर्णय —

दिनांक:— 22.05.2024

1 संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कृष्णलाल वगैरा ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं.1 प्रार्थीगण के पिता / पति है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण के दादा / ससुर है। तहसील रायसिंहनगर हरीपुरा बरानी की जमाबन्दी सम्वत् 2071 2074 के [illegible] 141 / 332 के कि. नं. 1 ता 25 की 6.325 हे0 बारानी भूमि शामि[illegible]राम सुरजाराम मनीराम ख्यालीराम कृष्ण खेताराम [illegible] खातेदारी व खतोनी सं 7 / 23 के मु.नं. 59[illegible] 332 के [illegible] ता 25 के 6.325 हे0 बारानी भूमि मुखराम , पृथ्वीराज [illegible] बराबर खातेदारी व खतोनी सं 8 / 24 के मु.नं. 58 [illegible] 139 / 332 के [illegible] 1 ता 25 के 6.325 हे0 बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 18:31:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

भूमि मुखराम , पृथ्वीराज कमलादेवी पि. अमराराम बहिस्सा बराबर 2.108 है. सिमनाराम 2.108 है शांति देवी पत्नि शेराराम सुरजाराम मनीराम ख्यालीराम खेताराम पि. शेराराम बहिस्सा बराबर 2.109 है बारानी भूमि शामलात रूप से दर्ज है। खातेदार सिमनाराम की मृत्यु हो चुकी है। उसके जायज वारिसान मुलादेवी बेवा सिमनाराम, भूपराम, कालूराम , भगवानाराम , हेतराम , रामलाल, नम्बरदाराम , रिछपाल पुत्रगण सिमनाराम , प्रतिवादी सं. 6 ता 13 है तथा शांति देवी पत्नी शेराराम की भी मृत्यु हो चुकी है। जिसके तीन पुत्र सुरजाराम, मनीराम व ख्यालीराम है तथा हरदेवी की मृत्यु शेराराम के जीवनकाल में ही हो गई थी। विवादित भूमि वाके चक हरीपुरा बारानी के मु.न. 60 के 6.325 है बरानी भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा व मुझ प्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा विरासतन है जो कि मुझ प्रार्थी सं. 1 की माता शांति देवी व मुझ प्रार्थी सं. 1 के पिता से विरासतन प्राप्त हुआ है। उस भूमि में प्रार्थी सं. 1 का 3.162 है. हिस्सा है तथा अप्रार्थी सं. 1ता 3 का बहिस्सा बराबर 3.163 है हिस्सा है तथा मु.न. 58 के 6.325 है बारानी भूमि में से 2.109है भूमि का 1/2 हिस्सा अर्थात् 1.054 है बारानी भूमि मुझ प्रार्थी सं. 1की व शेष 1.055 है. बारानी भूमि अप्रार्थी सं. 1ता 3 की बहिस्सा बराबर खातेदारी विरासतन है तथा मु.न. 58 की शेष बची 4.216है. बारानी भूमि में से 1/2 हिस्सा की 2.108 है बारानी भूमि प्रार्थीनी सं. 2 कमलादेवी व अप्रार्थी सं. 4 व 5 पृथ्वीराज व मुखराम की बहिस्सा बराबर तथा /2 हिस्सा की 2.109है. बारानी भूमि अप्रार्थी सं. 6 ता 3 की प्रत्येक 1/8 हिस्सा खातेदारी भूमि विरासतन है। उक्त भूमि के अलावा वाके चक हरीपुरा बारानी के मु.न. 59 के 6.325है. बारानी प्रार्थीनी सं. 2 कमलादेवी व अप्रार्थी सं. 4 पृथ्वीराज व अप्रार्थी सं. 5 मुखराम की बहिस्सा बराबर अर्थात् 2.108 है. प्रत्येक की विरासतन खातेदारी है तथा मुझ प्रार्थीनी के हिस्सा में मु.न. 59 की 2.108 है. व मु.न. 58 की 2.108 है. भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि अर्थात् 0.703 है. कुल 2.811 है. व अप्रार्थी सं. 4 पृथ्वीराज की 2.811है. व अप्रार्थी सं. 5 मुखराम की 2.811 है. भूमि खातेदारी है जिसके घोषित करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। वाके चक हरीपुरा बारानी के मु.न. 58–59 व 60 की 18.975है. बारानी भूमि हम खातेदारान ने आपसी बंटवारा में अपने अपने हिस्सा अनुसार निम्नप्रकार से विभाजित कर रखी है :–प्रार्थी सं. 1 कृष्णलाल के हिस्सा व कब्जा काश्त मे चक हरिपुरा बारानी के मु.न. 60 के कि.न. 1–2–9–10–11–12–19–20–21–22 व 23/0.127, 3/0.127,8/0.126, 3/0.127 , 18/0.126 कुल 3.163 है. मु.न. 58 के कि.न. 17/0.043, 18–19–20–21 कुल 1.054 कुल 4.217है. बारानी भूमि। प्रार्थीनी सं. 2 कमलादेवी के हिस्सा व कब्जा काश्त मे चक हरिपुरा बारानी के मु.न. 59 के कि.क.न. 3–8–13–17– / 169, 18–19/ .169, 22—23–24 कुल 2.109 है. मु.न. 58 के कि.न. 9/0.169, 10–11–12/0.027 कुल 0.702 है. कुल तादादी 2.811 है.बारानी भूमि। अप्रार्थी सं. 4 पृथ्वीराज के हिस्सा व कब्जा काश्त में चक हरिपुरा बारानी के मु.न. 59 के कि.क.न. 4 ता 7 /1.012 है. 14 ता 6 /0.759,है 17/0.084है 25/0.253है. कुल 2.108है व मु.न. 58 के कि.न. 12/0.228 13/0.253, 14/0.223, कुल0.702है कुल 2.811है. बारानी भूमि। अप्रार्थी सं. 5 मुखराम के हिस्सा व कब्जा काश्त मे चक हरिपुरा बारानी के मु.न. 59 के कि.न. –2–9–10–1–12–19[illegible] 20/.253, 21/.253 कुल 2.108है व मु.न. 58 के कि.न. 14/0.030, 15/0.253, 16/0.253, 1[illegible] कुल 703 है कुल 2.812है बारानी भूमि। अप्रार्थी सं. 1–[illegible] के क्रमशः हर तीन बहिस्सा बराबर के हिस्सा व क[illegible] मे चक ह[illegible] बारानी के मु.न. 60 के कि.न. 3/0.126, 4 ता 7 /1.012है [illegible] 1.012, 18/0.127, 23/0.126, 24–25/0.506है. कुल 3.162है व मु.न. [illegible] के कि.न. 22 ता 25 /1.012, 17/0.043, कुल 055है. कुल तादाद 4.27 है बारानी भूमि। अप्रार्थी सं. 6 ता 13 क्रमशः

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 18:31:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

AnyScanner

मूलादेवी , भूपराम, कालूराम, भगवानाराम, हेतराम, रामलाल, नम्बरदाराराम , रिछपाल के हर आठ बहिस्सा बराबर के हिस्सा व कब्जा काश्त मे चक हरिपुरा बारानी के मु.न. 58 के कि.न. 1 ता 8 /2.024, 9/0.084है कुल 2.108 है. बारानी भूमि। उक्त विवादित भूमि पैतृक भूमि है तथा प्रार्थीगण बतौर कोपार्सनर विवादित भूमि के टिनेन्ट होने के कारण अपने अधिकारों की घोषणा करवाने व अपने अपने हिस्सा अनुसार भूमि का विभाजन करवाने के विधिक अधिकारी है तथा यही वाद कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्व हासिल है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को अपने अपने हिस्सा व कब्जा अनुसार विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करवाने व विभाजन करवाने के लिए बमुकाम हरिपुरा बारानी दिनांक 26.09.2015 को कहा तो अप्रार्थीगण स्पष्टतः इन्कार हो गये बस यही तारीख बिनाय मुखासमत है।प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण पूर्ण रूप से सिद्व है कि प्रार्थी स. 1 की 4.217 है. बारानी भूमि व प्रार्थीनी स. 2 की 2.811है. बारानी भूमि को बाहमी बंटवारा के अनुसार काफी अरसा से काबिज होकर काश्त कर रहे तथा मृतका शांति व मृतक खेताराम के हिस्सा की भूमि विरासतन प्राप्त होकर प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है। चूंकि उक्त भूमि रिकार्ड मे संयुक्त खाता की है। उक्त बंटवारा मे भूमि को उन्होंने काफी मेहनत कर उपजाऊ बनाया है। अब अप्रार्थीगण के मन बेईमान हो गया है जो येन-केन प्रकरेण प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा करना चाहते है। जबकि ऐसा करने मे अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्व दावा के निस्तारण तक अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी है तथा उक्त भूमि मे प्रार्थीगण की मौका पर फसल ग्वार काश्त की हुई है। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अगर अप्रार्थीगण अपने इस नापाक ईरादा में कामयाब हो जाते है तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा कर लेते है तो इससे प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा अपूर्णिय क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन मुद्राओं में नहीं आंका जा सकेगा। अतः प्रार्थीगण के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वे वाके चक हरिपुरा बारानपी के मु.न. 58/59-60 की 18.975 है.बारनी भूमि के संबंध मे अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने से वर्जित रहे तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व हिस्सा की भूमि वाके चक हरिपुरा बारानी के मु.न. 60 के कि.न. 1-2-, 9 ता 12 , 19 ता 22 , 23 व कि.न. 3-8-13-18 प्रत्येक की 0.127 है. कुल 3.163 है. व मु.न. 58 के कि.न. 17 ता 21 की 1.054है. कुलयोग 4.217 है. व मु.न. 59 के कि.न. 3-8-13, 17 ता 19, 22 ता 24 की 2.109है. व मु.न. 58 के कि.न. 9 ता 12 की 0.702 है. कुल 2.811 है० बारानी भूमि मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे। विवादित भूमि किसी अन्य को हस्तान्तरित न करे तथा रिकार्ड व मौका की स्थिति यथावत् बनाये रखे।

2 प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबाना तलब किया गया। अप्रार्थी स. 1 ता 3 की ओर से श्री प्रीतम सिंह गिल अधिवक्ता हाजिर आये। तथा अप्रार्थी स. 4 ता 13 को नोटिस की तामील होने के बावजूद हाजिर नही आने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थी स.1ता 3 ने जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में विरोध प्रकट करते हुये अतिरिक्त ... विवादित भूमि मिन अप्रार्थीगण व प्रार्थी कृष्णलाल के पिता ... की स्वअर्जित भूमि है। चूंकि मिन अप्रार्थीगण ,प्रार्थी कृष्णलाल ... का देहान्त हो चुका है इसके अलावा भाई खेताराम ... होने से मिन अप्रार्थीगण वा प्रार्थी कृष्णलाल ... जीवित जायज वारिसान, उत्तराधिकारी वा विधिक प्रतिनिधि होने से कानूनन उन्हें ... विवादित रकबा पर हर प्रकार के हक-हकूक वा खातेदारी अधिकार बहिस्सा बराबर -बराबर यानि प्रत्येक का 1/4,

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 18:31:34 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

1/4 भाग के रकबा पर हक हकूक व खातेदारी अधिकार निहित है और तदनुसार ही काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने वाद व प्रार्थना –पत्र मात्र अप्रार्थीगण को हैरान–परेशान करनेकी गज से झूठे आधारो पर प्रस्तुत किया है वे सद्‌भावी नहीं है और कोई अनुतोष व्यादेश प्राप्ति के अधिकारी नही है। इसलिये मिन अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से विशेष हर्जाना के तौर पर कम से कम 10 हजार रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है एव प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है। जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मौजूदा स्तर पर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। खर्चा जवाबदेही व विशेष हर्जाना मिन अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से दिलाया जावे।

3. बहस पक्षकारान के अधिवक्तागण सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना–पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया। तथा विवादग्रस्त भूमि की अप्रार्थीगण वा प्रार्थी कृष्ण लाल के पिता शेराराम व दादा नत्थूराम की स्व अर्जित भूमि है। विवादित भूमि से विरासतन मे मिली है। जिसमे प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। विवादित भूमि वाके चक हरिपुरा बारानी की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता न. 8/24 के मु.न. 58 के 6.325है. अमरूराम चिमनाराम पि. नत्थूराम ,बहिब 4.216 है.शांतिदेवी पत्नि शेराराम , सुरजाराम, मनीराम ,ख्यालीराम , कृष्णलाल , खेताराम पि. शेराराम हर छः बहिब 2.109है0 कोम बावरी सा. डाबला व मु.न. 59 के 6.325 है. भूमि अमरूराम पुत्र नत्थूराम , विरासतन मुखराम ,पृथ्वीराज ,कमलादेवी पि. अमराराम हर तीन बहिब खातेदार व इस चक के खाता न. 7/23 के मु.न. 89/76 के मु.न. 60 के 6.325 है. बारानी भूमि शान्ति देवी पत्नि शेराराम, सुरजाराम –मनीराम ,ख्यालीराम ,कृष्ण लाल , खेताराम पि. शेराराम को बावरी सा. डाबला हर बहिबखातेदार दर्ज है। विवादित भूमि संयुक्त खाते मे दर्ज है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाने हेतु निवेदन किया है।

4. बहस पक्षकारान अधिवक्तागण पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्यों का अवलोकन किया। विवादित भूमि ऐसे मे प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।वाके चक हरिपुरा बारानी की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता नं. 8/24 के मु.न. 58 के 6.325है. अमरूराम चिमनाराम पि. नत्थूराम ,बहिब 4.216 है.शांतिदेवी पत्नि शेराराम , सुरजाराम, मनीराम ,ख्यालीराम , कृष्णलाल , खेताराम पि. शेराराम हर छः बहिब 2.109है0 कोम बावरी सा. डाबला व मु.न. 59 के 6.325 है. भूमि अमरूराम पुत्र नत्थूराम , विरासतन मुखराम ,पृथ्वीराज ,कमलादेवी पि. अमराराम हर तीन बहिब खातेदार व इस चक के खाता नं. 7/23 के मु.न. 89/76 के मु.न. 60 के 6.325 है. बारानी भूमि शान्ति देवी पत्नि शेराराम , सुरजाराम –मनीराम ,ख्यालीराम ,कृष्ण लाल , खेताराम पि. शेराराम को बावरी सा. डाबला हर बहिब खातेदार दर्ज है। विवादित भूमि संयुक्त खाते मे दर्ज है। संयुक्त खातेदार दर्ज भूमि प्रत्येक खातेदार का विधिवत् बटवारा होने से पूर्व प्रत्येक इन्च की भूमि पर प्रत्येक खातेदार का बराबर का हक होता है। ऐसे मे बटवारा होने से पूर्व संयुक्त खाते की भूमि प्रत्येक खातेदार का बराबर का हक [illegible] किस का हक है तथा विवादित आराजी पैतृक सम्पति है या नहीं इस [illegible] मूल वाद मे दोनो पक्षों के साक्ष्य लिये जाकर मेरिट के [illegible] को स्थगन प्रार्थना पत्र का ही निस्तारण किया जा [illegible] बटवारा होने [illegible] संयुक्त खाते की भूमि प्रत्येक खातेदार का बराबर का हक [illegible] मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत होता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीग[illegible] मे प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 18:31:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

अतः उक्त विववेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि पूर्व में दिनाक 30.9.2015 को जारी स्थगन आदेश को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 22.05.2024 को सुनाया गया।

(सुभाष चन्द)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 18:31:34 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner